

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
मण्डल रेल प्रबंधक (का0)
समस्तीपुर

कार्यालय आदेश संख्या - 11/NG/2026/Optg/SPJ

समस्तीपुर मंडल के परिचालन विभाग के निम्नलिखित शटिंग मास्टर - II लेवल-4 के कर्मचारी जिन्हें इस कार्यालय के परिणाम अधिसूचना संख्या- ECR-SPJOPERS(OPTG)/0018/2025 (Comp. No.:354299) दिनांक 31.12.2025 एवं मरेप्र (का0)/सोनपुर का कार्यालय आदेश संख्या-853/2025 दिनांक-26.12.2025 में वर्णित परिणाम अधिसूचना संख्या-का/210/Shunting Master-I/OPTG/Suitability/Son, दिनांक-19.11.2025 द्वारा शटिंग मास्टर - I लेवल-6 के पद पर पदोन्नति हेतु सुयोग्यता जाँच में सुयोग्य घोषित होने के उपरान्त नामिकाबद्ध किये गये हैं, एवं वर्तमान में दो वर्षों की वांछित सेवा अवधि पूरी कर चुके हैं तथा D&AR/SPE/VIG मामले से मुक्त हैं, को शटिंग मास्टर - I/लेवल-6, के पद पर पदोन्नति देते हुए यथास्थान पदस्थापित किया जाता है। उक्त प्रोन्नति का लाभ प्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा।

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम (सर्वश्री)	वर्तमान पद/लेवल एवं कार्यस्थल	पदोन्नति पद, लेवल एवं पदस्थापना स्थल	अभ्युक्ति
1	रंजीत कुमार	शटिंग मास्टर - II/लेवल-4/ MFP	शटिंग मास्टर - I/लेवल-6/ MFP	
2	सुभाष कुमार पंडित	शटिंग मास्टर - II/लेवल-4/ RXL	शटिंग मास्टर - I/लेवल-6/ RXL	
3	सुधीर कुमार यादव	शटिंग मास्टर - II/ लेवल-4/ DBG	शटिंग मास्टर - I/लेवल-6/ DBG	
4	राजीव रंजन कुमार	शटिंग मास्टर - II/ लेवल-4/ NKE	शटिंग मास्टर - I/लेवल-6/ NKE	
5	चन्दन कुमार	शटिंग मास्टर - II/ लेवल-4/ SPJ	शटिंग मास्टर - I/लेवल-6/ SPJ	
6	अनुप कुमार	शटिंग मास्टर - II/ लेवल-4/ NKE	शटिंग मास्टर - I/लेवल-6/ NKE	
7	मुनीन्द्र ठाकुर	शटिंग मास्टर - II/ लेवल-4/ RXL	शटिंग मास्टर - I/लेवल-6/ RXL	
8	मुन्ना कुमार यादव	शटिंग मास्टर - II/ लेवल-4/ DBG	शटिंग मास्टर - I/लेवल-6/ DBG	

(कुल 08 नाम मात्र)

Digitally signed by
TRILOK NATH VERMA
Date: 01-01-2026
18:59:25

(त्रिलोक नाथ वर्मा)
स्हायक कार्मिक अधिकारी III
कृते मंडल रेल प्रबंधक (का0)
समस्तीपुर

सं०- ECR-SPJOPERS(OPTG)/0018/2025 (Comp. No.:354299)

दिनांक-01.01.2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. वमपचाप्र/सम०।
02. वमविप्र/सम०। संबंधित स्टेडी/यानि मुकार्याधी/बिल/ समस्तीपुर।
03. मंडल मंत्री-ईसीआरईयूअजा-अजजा एवं ओबीसी एशो/सम०।
04. सम्बंधित कर्मचारी। 7.अभिलेख हेतु।